भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2894
उत्तर देने की तारीख 13 अगस्त, 2026

बीएसएनएल के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन

2894 डा. जॉन ब्रिटासः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बीएसएनएल के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए वेतन समझौता, जिस पर मान्यता प्राप्त संघों के साथ बातचीत के बाद 08.10.2025 को हस्ताक्षर किए गए थे और जिसे बीएसएनएल बोर्ड ने मंजूरी दी थी, अभी भी कार्यान्वयन हेतु लंबित है;

(ख) क्या तीन पुनर्जीवन पैकेज और बीएसएनएल के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के बावजूद, वहन क्षमता (अफोर्डेबिलिटी क्लॉज़) सम्बन्धी शर्त के कारण तीसरे वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) को कार्यान्वित करने में बाधा आ रही है;

(ग) क्या बीएसएनएल के रणनीतिक महत्व को देखते हुए वहन क्षमता (अफोर्डेबिलिटी क्लॉज़) सम्बन्धी शर्त से कोई विशेष छूट दी जाएगी;

(घ) क्या पिछले दो वर्षों में तीसरे पीआरसी के संबंध में डीपीई, दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल के साथ परामर्श किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहे हैं; और

(ङ) बीएसएनएल की रणनीतिक राष्ट्रीय भूमिका को ध्यान में रखते हुए, 01.01.2017 से वेतन संशोधन लागू करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा और किसी विशेष छूट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ङ) दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संशोधित पे-स्केल इस शर्त के अधीन लागू किए जाएंगे कि बोर्ड स्तर के कार्यकारी, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए जिस वर्ष में संशोधित पे-पैकेज को लागू किया जाएगा, उसमें अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव कार्यान्वयन के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए । बीएसएनएल में तीसरा वेतन संशोधन लागू नहीं किया गया है, क्योंकि यह डीपीई दिशानिर्देशों के वहनीयता खंडों के तहत मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

वेतन संशोधन समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर मौजूदा नीतिगत फ्रेमवर्क, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी, लागू दिशा-निर्देशों और अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
